रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 1974/ज्येष्ठ 20, 1896
No. 142] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 1974/JYAISTHA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi the 10th June, 1974

SUBJECT.—*Import of Dates [S. No. 21(b)/IV from Oman (Muscat) during July 1973—June 1974 on annual basis—Extension in the validity period.*

No. 82-ITC(PN)/74.—Attention of importers is invited to paragraph 4 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 142-ITC(PN)/73, dated 30th August, 1973, in terms of which licences issued for import of 'dates' from Oman (Muscat) for the period July '73—June '74, are valid upto 30th June, 1974.

2. On a review of the position, it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences, issued for import of 'dates' from Oman (Muscat) in terms of the aforesaid Public Notice, may be deemed to have been extended upto 30*th September* 1974. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The customs Authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 10 जून, 1974

विषय.—वार्षिक आधार पर जुलाई 1973—जून 1974 के दौरान ओमन (मस्कत) से खजूरों [क्रम सं० 21 (बी)/4] का आयात-वैधता अवधि में वृद्धि ।

सं० 82-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—आयतकों का ध्यान वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 142 आईटीसी (पीएन)/73 दिनांक 30 अगस्त 1973 की कंडिका 4 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार जुलाई 1973—जून 1974 के दौरान ओमन (मस्कत) से 'खजूरों' के आयात के लिये जारी किये गये लाइसेंस 30 जून, 1974 तक वैध हैं ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार ओमन (मस्कत) से 'खजूरों' के आयात के लिये जारी किये गये बिना उपयोग किये गये/आंशिक उपयोग किये गये लाइसेंसों की वैधता अवधि को **30 सितम्बर 1974** तक बढ़ाया गया समझा जाए । इस सम्बन्ध में लाइसेंसों पर, लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पृष्ठांकन कराने की जरूरत नहीं है । सीमाशुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर निकासी की स्वीकृति बढ़ाई गई अवधि के भीतर देंगे, बशर्तेकि आयात अन्यथारूप से सही हैं ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974